भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *168

11 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त किया जाना

***168. श्री पी.सी. मोहन:**

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा रूपरेखा और पहल, जैसे ''भारत में इस्पात क्षेत्र को हरित बनाना'' संबंधी रिपोर्ट और 'टैक्सोनॉमी फॉर ग्रीन स्टील 2070 नेट-जीरो' लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नेट-जीरो लक्ष्य की दिशा में प्रगति की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्पात क्षेत्र संबंधी लक्ष्यों को कम करने के लिए कोई अंतरिम कार्बन उत्सर्जन स्थापित किया है, यदि हां, तो कर्नाटक और बेंगलुरू में संयंत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कार्बन मुक्त किए जाने संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं, जैसे- इस्पात उत्पादन में हरित हाइड्रोजन का उपयोग आदि की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए विद्यमान विशिष्ट तंत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय भारतीय इस्पात उद्योग में कार्बन मुक्त उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा दिया गया है।

******

श्री पी. सी. मोहन, संसद सदस्य द्वारा 'इस्पात क्षेत्र के अकार्बनीकरण' के संबंध में दिनांक 11.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *168 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): जी हाँ। 'ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान' नामक व्यापक रिपोर्ट में वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में इस्पात क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रणनीतियां तैयार की गई हैं। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हालांकि, इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई अंतरिम लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(ग). नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने योजना कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) के रूप में मेकॉन के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत लौह एवं इस्पात क्षेत्र में पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। परियोजना निगरानी तंत्र में मेकॉन द्वारा मासिक ट्रैकिंग, परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) द्वारा तिमाही समीक्षा और इस्पात तथा एमएनआरई के सचिवों की सह-अध्यक्षता वाली संचालन समिति (एससी) द्वारा समग्र निरीक्षण शामिल है।

(घ). इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई ने इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के अकार्बनीकरण में तेजी लाने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस), ब्लास्ट फर्नेस में कोक ओवन गैस के प्रयोग, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रयोग इंजेक्शन आदि क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

*****